

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना


अधि०सं०-8/गठन/107/2017/न०वि०आ०/.....2115 (अ०) राँची, दिनांक-17/04/18

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) (स) धारा-4, 5, 6, 8 की उपधारा-(3) तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत (बचरा उत्तरी (अंश) एवं बचरा दक्षिणी) के 01 राजस्व ग्राम बचरा को उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1010 दिनांक-08.09.2017 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-6539, दिनांक-18.10.2017 द्वारा परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) घोषित करने का 'प्रारूप आदेश' निर्गत किया गया। प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त, चतरा को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-14/वि०, दिनांक-23.01.2018 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०-6539, दिनांक-18.10.2017 के प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर किसी तरह की आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपायुक्त, चतरा के द्वारा बचरा नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) (स), धारा-4, 5, 6, 8 तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत बचरा उत्तरी (अंश) एवं बचरा दक्षिणी (राजस्व ग्राम की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से बचरा नगर पंचायत के गठन की घोषणा करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अर्जुन कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/107/2017/न०वि०आ०/.....2115

राँची, दिनांक-17/04/18

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/107/2017/न०वि०आ०/.....2115

राँची, दिनांक-17/04/18

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/107/2017/न०वि०आ०/.....2115

राँची, दिनांक-17/04/18

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/सभी प्रशाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल कुमार, आई०टी०विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अनुलग्नक-1

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग


बचरा नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-14/वि०, दिनांक-23.01.2018 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में चतरा जिलान्तर्गत बचरा नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले पंचायत/राजस्व ग्राम की सूची:-

2115
17/04/18

पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)
बचरा उत्तरी (अंश)	बचरा	85	12969
बचरा दक्षिणी			

1. बचरा नगर पंचायत की कुल जनसंख्या-12969 व्यक्ति।
2. प्रस्तावित नगर पंचायत का क्षेत्रफल-4105.23 एकड़।


14-4-18
(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।